

सम - सीमांत उपयोगिता नियम :

सर्वप्रथम जर्मन अर्थशास्त्री गॉसेन (Gossen) ने सम-सीमांत उपयोगिता नियम की चर्चा की थी। इस नियम को गॉसेन का दूसरा नियम भी कहते हैं। मानव ने यह कहा कि जब उपभोक्ता एक से अधिक वस्तुओं पर अपनी सीमित आय को व्यय करता है, तब अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति के लिए उसे सम-सीमांत उपयोगिता का सहारा लेना पड़ता है, इस नियम को अधिकतम संतुष्टि का

(Law of maximum satisfaction) या प्रतिस्थापन का नियम (Law of substitution) या अनुपातिकता का नियम (Law of proportionality) आदि भी कहा जाता है।

सम-सीमांत उपयोगिता नियम वास्तव में उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यह बताता है कि जब कोई उपभोक्ता अपनी उपभोग्यता की संतुष्टि के लिए अतिरिक्त किसी वस्तु की क्रयणा अधिक इकाइयों का प्रयोग करता है, तब उसकी प्राप्त होनेवाली उपयोगिता घटती जाती है। अतः कोई भी विवेकशील उपभोक्ता अपनी पुरा आय को किसी एक ही वस्तु पर व्यय नहीं करेगा वह अपनी सीमित आय का प्रयोग इस तरह से विभिन्न वस्तुओं की खरीद पर करेगा कि उसे अनेक अतिरिक्त प्रयोग से समान संतुष्टि की प्राप्ति हो। इस क्रम में वह अधिक संतुष्टि की प्राप्ति के लिए अनेक व्यय को जो उस उपयोगिता वस्तु से इतना अधिक उपयोगिता वस्तु की खरीद से जायगा दूसरे वस्तु में, वस्तु का प्रतिस्थापन करेगा जब तक सभी उपयोगिता की अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से उसे समान संतुष्टि न प्राप्त हो। अतः हमें लगे इसलिए इसे प्रतिस्थापन का नियम कहा जाता है। इसे अधिकतम संतुष्टि का नियम भी कहा जाता है। क्योंकि इसी नियम का सहारा लेकर उपभोक्तार्थी अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने वाली चेष्टा करता है।

प्रीठ माश्राल का नाम सम-सीमांत उपभोगिता नियम से दंगा
 से जुड़ा हुआ है। क्योंकि उन्होंने इसकी विशद
 व्याख्या प्रस्तुत की है। प्रीठ माश्राल के अनुसार
 यदि एक व्यक्ति के पास कोई ऐसी वस्तु है जिसे
 वह अनेक प्रयोगों में ला सकता है तो वह
 उसे उन प्रयोगों के बीच इस प्रकार विभक्त करेगा
 ताकि सम-प्रयोगों में उसकी सीमांत उपभोगिता बराबर
 रहे। उन्होंने यथा ऐसी वस्तु की चर्चा की है। जिसका
 अनेक प्रयोग या अनेक वस्तुओं के उपभोगों में
 प्रयोग ही सकता है वह वस्तु मुद्रा है। मुद्रा का
 प्रयोग अनेक व्यक्तियों के संपादन के लिये या अनेक
 वस्तुओं के उपभोग के लिये किया जा सकता है।
 वह वस्तुओं पर व्यय की गई मुद्रा के सीमांत
 प्रयोग से उसी समान संतुष्टि मिलनी चाहिए दूसरे
 शब्दों में सम-सीमांत उपभोगिता नियम में यह
 बताया गया है कि उपभोगिता की विभिन्न वस्तुओं
 पर इस प्रकार खर्च करना चाहिए कि विभिन्न वस्तुओं
 पर किये गये अन्तिम व्यय से समान संतुष्टि
 मिले तथा विभिन्न वस्तुओं की सीमांत उपभोगिताएँ
 तथा उनके मुख्य अनुपात बराबर हों जैसे यदि
 उपभोगिता की वस्तुओं A तथा B पर या उससे अधिक
 वस्तुओं पर अपनी पूरी आय खर्च कर रहा है
 तो सम-सीमांत उपभोगिता नियम के अन्तर्गत पर उसे
 उस स्थिति में अधिक संतुष्टि की प्राप्ति होगी जब

$$\begin{matrix}
 MU \text{ OF } A - MU \text{ OF } B = MU \text{ OF } N & \text{की} \\
 \text{Price OF } A & \text{Price OF } B & \text{Price OF } N
 \end{matrix}$$

इस प्रकार जब वस्तु की या नी से अधिक हो इस
 शर्त की प्राप्ति होने पर ही अधिकतम संतुष्टि हासिल
 की जा सकता है।

